

19.02.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-130/2020-21

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-76(ii) दिनांक-06/02/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. हल्का कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार भूमि बिक्री अनुमति हेतु आवेदित भूमि मौजा धानामुंजी, खाता सं०-34, खेसरा 311, रकबा-21 डी० वो खेसरा 315, रकबा-66 डी० है। आवेदक एवं क्रेता दोनो एक ही खानदान के है। जो रिस्ते में चाचा-भतीजा है। विक्रेता अपने लेनदारी चुकाने हेतु बिक्री करना चाहते है। परन्तु विक्रेता के पुत्र श्रवण कुमार मुखियार द्वारा लिखित आपत्ति दी गई है।


2. अंचल अधिकारी के अनुसार कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट के आधार अनुमति नहीं दी जा सकती है।


अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
धानामुंजी	सिल्ली/44	34 34	311 315	21 डी० 66 डी० चौहद्दी उ०-शिवचरण मुखियार। द०-शिवचरण मुखियार। पू०-चट्टान। प०-बेला पहाड़।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।